POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.06.2025

1.थाना सैक्टर 63 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा अपमिश्रित पनीर तैयार कर विक्रय करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14 क्विंटल तैयार अपमिश्रित पनीर व निशादेही पर अपमिश्रित पनीर तैयार करने वाले उपकरण व कच्चा माल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 28.06.2025 की रात्रि को थाना सैक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर गाडी नं0 यूपी 81 ईटी 8564 महिन्द्रा पिकअप 14 क्विंटल अपमिश्रित पनीर के साथ बरामद की गयी। अभियुक्त गुलफाम पुत्र इस्लाम (पिकअप के चालक) की निशादेही पर अभियुक्त अफशर व गुड्डू उर्फ रहीश पुत्रगण गफ्फार निवासीगण शहजपुरा अलीगढ के अपमिश्रित पनीर तैयार करने वाले प्लांट से 02 कट्टा धौलपुर फ्रेश स्किम्ड मिल्क पाऊडर 25-25 किलो, 05 कट्टे रैड बुल प्रीमियम क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट सार्टेक्स क्लिन 25-25 किग्रा0, 02 टीन नेचुरल गोल्ड न्यूट्री लिव रिफाइन्ड पालमोलिन 15-15 किग्रा, 01 कन्ट्री नीले रंग का जिसमें 04 किग्रा केमिकल , 01 अदद मशीन पनीर बनाने वाली, 1 मिक्सर ग्राइन्डर , 02 ट्रान्सपेरेन्ट शीशी पोस्टर कलर रंग सफेद बरामद हुआ है। अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 274/275/318(4) बीएनएस में **गिरफ्तार** किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा ग्राम सहजपुरा अलीगढ स्थित अफसर व गुड्ड उर्फ रहीश पुत्रगण गफ्फार के प्लांट पर अपमिश्रित पनीर तैयार कर गुलफाम, नावेद व इकलाख द्वारा एनसीआर क्षेत्र में दुकानदारों को धोखा देकर असली पनीर बताकर अपमिश्रित पनीर विक्रय किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा यह कृत्य करीब 06 माह से किया जा रहा है। अभियुक्तगण द्वारा अपमिश्रित पनीर 180/- रू से 220/- रू के हिसाब से दुकानदारों को बेचा जाता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण से बरामद कच्चा माल जिसमें पालमोलिन आयल तथा पोस्टर कलर (पनीर को सफेद रंग देने के लिए)मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बरामद पनीर का सैम्पल लिया गया। रिपोर्ट आने के बाद समुचित धारा में कार्यवाही की जायेगी।

अपमिश्रित पनीर बनाने की प्रक्रिया--

1. खरीदार द्वारा तय की गई रकम के आधार पर सामग्री की मात्रा तय होती है।

प्रक्रिया 1--

रेड बुल बीन (सॉर्टेक्स क्लीन) को पानी में भिगोया जाता है। 25-25 किलो की दो बोरियों को 8 क्विंटल पानी या "सपरोता" लिक्विड के साथ उबाला जाता है।
उसमें पोस्टर कलर (व्हाइटनर) मिलाया जाता है। फिर नीले डिब्बे वाला कैमिकल डालकर मिश्रण को फाड़ा जाता है ताकि पनीर जैसा रूप बने। कपड़े में बांधकर ठंडे पानी में डाला जाता है। फिर दबाकर पानी निकाला जाता है।

➡ उत्पादन: 60 किलो एनालॉग पनीर

प्रक्रिया 2 --

8 क्विंटल पानी/सपरोता में ढोलपुर फ्रेश मिल्क पाउडर मिलाकर उबालते हैं, फिर उसे कैमिकल से फाड़ा जाता है। न्यूट्रिलिव रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता है जिससे पनीर क्रीमी लगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. गुड्डू उर्फ रहीश पुत्र गफ्फार निवासी सहजपुरा थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 36 वर्ष

गुड्डू उर्फ रहीश एंव भाई अफसर द्वारा कृत्रिम पनीर तैयार करने वाले प्लांट का संचालन शहजपुरा थाना पिसावा जिला अलीगढ मे किया जा रहा है।

2. गुलफाम पुत्र इस्लाम नि0 शहजपुरा थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 32 वर्ष।

गुलफाम द्वारा फैक्ट्री से पनीर लाकर एनसीआर में दुकानदारों को विक्रय करने का कार्य किया जाता था एंव महिन्द्रा पिकअप का चालक भी है।

3. नावेद पुत्र बब्लू निवासी सहजपुरा थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 20 वर्ष

नावेद द्वारा फैक्ट्री से पनीर लाकर एनसीआर में दुकानदारों को विक्रय करने का कार्य किया जाता था।

4. इकलाख पुत्र बादशाह निवासी बालनपुर थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 30 वर्ष

इकलाख द्वारा फैक्ट्री से पनीर लाकर एनसीआर में दुकानदारों को विक्रय करने का कार्य किया जाता था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 283/25 धारा 274/275/318(4) बीएनएस थाना सै0 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 कट्टा धौलपुर फ्रेश स्किम्ड मिल्क पाऊडर 25-25 किलो
2. 05 कट्टे रैड बुल प्रीमियम क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट सार्टेक्स क्लिन 25-25 किग्रा0
3. 02 टीन नेचुरल गोल्ड न्यूट्री लिव रिफाइन्ड पालमोलिन 15-15 किग्रा
4. 01 कन्ट्री नीले रंग का जिसमें 04 किग्रा केमिकल
   01 मशीन पनीर बनाने वाली
5. 1 मिक्सर ग्राइन्डर
6. 02 ट्रान्सपेरेन्ट शीशी पोस्टर कलर रंग सफेद
7. 11 नीले रंग के ड्रम जिनमें 14 कुण्टल कृत्रिम पनीर
8. घटना में प्रयुक्त एक यूपी 81 ईटी 8564 महिन्द्रा पिकप

2.थाना फेस-1 पुलिस द्वारा 'डायल-112' पर झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त सहित कुल 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 28.06.2025 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा 'डायल-112' पर मारपीट व लूट करने की झूठी सूचना देकर आपस में वाद विवाद कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. आशीष कुमार पुत्र मंगल सिंह 2. तरुण पुत्र पवन 3. अभय प्रताप पुत्र देव सिंह 4. बृजेश पुत्र कल्याण सिंह को मेट्रो स्टेशन सेक्टर-15 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त/ कॉलर अभय प्रताप द्वारा 'डायल-112' पर कॉल कर कुछ लोगों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट व 03 लाख रूपये लूटने की झूठी सूचना दी थी। अभियुक्तों का आपस में पैसों की लेन-देन को लेकर दिनांक 26/27.06.2025 को विवाद हुआ था, जिसके संबंध में थाना फेस-1 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आशीष कुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम चिरौडी, थाना लोनी, गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष।
2. तरुण पुत्र पवन निवासी विजय नगर, गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष।
3. अभय प्रताप पुत्र देव सिंह निवासी ग्राम हिम्मतपुर, थाना इन्द्रगढ़, जिला कन्नौज वर्तमान पता साउथ गणेश नगर बी-56, दिल्ली, उम्र 22 वर्ष।
4. बृजेश पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम सरासोल, थाना विलसी, जिला बदायूं वर्तमान पता नया बांस, सेक्टर-15 नोएडा, उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 254/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस, बनाम अभयप्रताप व बृजेश, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0255/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम आशीष कुमार व अन्य साथी, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।